सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 48/16 **निर्णय दिनांक 16.03.2018**

1. सुखसिंह उर्फ सुखदेव सिंह पुत्र चनणसिंह जाति जटसिख निवासी फतूहीवाला सब तहसील लाम्बी तहसील मलोठ जिला मुक्तसर साहेब।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूणकरनसर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 03—06—2016
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः—

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के आदेश दिनांक 03—06—2016 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा ग्राम मिठड़िया तहसील लूणकरनसर के गत् खसरा नम्बर 304/24 में 60 बीघा, खसरा नम्बर 306/14 में 60 बीघा कुल 120 बीघा भूमि अपीलांट की संवत् 2015 से गैर खातेदारी भूमि रही है तथा कालान्तर से ही अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि वर्तमान में खसरा नम्बर 2, 4, 52, 68, 75, 176, 177, 178, 179 व 193 में पैमूद हुई। जो अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि का ही हिस्सा है। अमलाराज द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये ही अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि को राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष यह कथन किया गया था कि अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि को बिना किसी सक्षम आदेश के आराजीराज दर्ज किया गया है तथा राजस्व अमला उक्त आदेश की आड़ में वादगत् भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। यदि अपीलांट को वादगत् भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है प्रकरण की वास्तविक स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है अदालत मातहत द्वारा ऐसा न करके न्याय की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन—फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का गैरखातेदार है व वादगत् भूमि पर मौके पर भौतिक रूप से उसका कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विस्तृत विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। वादगत् भूमि अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है।

रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर वादगत् भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि है तथा वादगत् भूमि पर भौतिक रूप से अपीलांट का कब्जा काश्त है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में होने से अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि रोही ग्राम मिठड़िया तहसील लूणकरनसर के गत् खसरा नम्बर 304/24 में 60 बीघा, खसरा नम्बर 306/14 में 60 बीघा कुल 120 बीघा जो वर्तमान में खसरा नम्बर 2, 4, 52, 68, 75, 176, 177, 178, 179 व 193 में पैमूद हुई। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई चूक नहीं की है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि वाके रोही मौजा मिठड़िया तहसील लूणकरनसर के गत् खेत खसरा नम्बर 304/24 में 60 बीघा, खसरा नम्बर 306/14

में 60 बीघा कुल 120 बीघा भूमि जो वर्तमान में खसरा नम्बर 2, 4, 52, 68, 75, 176, 177, 178, 179 व 193 में पैमूद हुई, के मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर वाद निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने की इस्तदुआ की गई।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है ना ही वादगत् भूमि के संबंध में कोई मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है तथा मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(4) प्रकरण में अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर उसका कोई कब्जा काश्त साबित हो। अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा मिठड़िया तहसील लूणकरनसर के गत् खेत खसरा नम्बर 304/24 में 60 बीघा, खसरा नम्बर 306/14 में 60 बीघा कुल 120 बीघा भूमि जो वर्तमान में खसरा नम्बर 2, 4, 52, 68, 75, 176, 177, 178, 179 व 193 में पैमूद हुई, इस संबंध में गत् खसरा नम्बरान् से वर्तमान में खसरा नम्बरान् बाबत् कोई मिजान क्षेत्रफल न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है। जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर का आदेश दिनांक 03—06—2016 बहाल रखा जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर